

प्रेषक, श्री यज्ञवीर सिंह चौहान,
 विशेष सचिव,
 उत्तर प्रदेश शासन।
 सेवा में समस्त जिलाधिकारी,
 उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग—4

विषय : फी—होल्ड हेतु धनराशि का आंकलन।

लखनऊ : दिनांक : 04 फरवरी, 1999

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासनादेश संख्या—2268 / 9—आ—4—98—704 एन / 97, दिनांक 01 दिसम्बर, 1998 को व्यवस्थार्भगत पट्टागत / किराये पर आवंटित नजूल भूमि के फी—होल्ड हेतु धनराशि के आंकलन के सम्बन्ध में विभिन्न जिलाधिकारियों द्वारा शासन को मार्गदर्शन दिए जाने का अनुरोध किया गया है।

इस सम्बन्ध में फी—होल्ड की गणना हेतु निम्न उदाहरण किया जा रहा है :—

1— माना कि दिनांक 30 नवम्बर, 1991 का सर्किल रेट 100/- रु० प्रति वर्ग मीटर

2— भूखण्ड का क्षेत्रफल = 10 वर्ग मी०

3— भू—उपयोग = आवासीय

स्वमूल्यांकन की धनराशि का निर्धारित = $10 \times 40 \times 100 \times 25 \times 100 =$ रु० 100

नोट :— जिन जनपदों में सर्किल रेट 30.11.90 से मध्य परिवर्तित हुये हैं वहाँ 30 प्रतिशत कीछूट क्षमूल्यांकन की धनराशि परदेय नहीं है अपितु 30 प्रतिशत की छूट फी—होल्ड देय धनराशि पर दी जायेगी तथा स्वमूल्यांकन की धनराशि फी—होल्ड हेतु देय धनराशि में समयोजित की जायेगी।

2— फी—होल्ड हेतु देय धनराशि $100 \times 10 \times 40 / 100 = 400$

(क) स्वमूल्यांकन की धनराशि समायोजित करने पर डिमांड नोटिस में शुद्ध देय धनराशि = 400—100 = रु० 300

(ख) यदि सर्किल रेट में 30 प्रतिशत की छूट अनुमन्यू नहीं है तो छूट की धनराशि = $400 \times 30 / 100 = 120$

शुद्ध देय धनराशि 400—100 = 280 रु०

एकमुश्त 90 दिन के अन्दर जमा करने पर छुट 280 रु० 20% 100 रुपये

शुद्ध देय धनराशि रु० 280—56 = 224 रु०

नामांकन की दशा में 5 प्रतिशत नामांकन शुल्क फी—होल्ड हेतु देय धनराशि पर लिया जाएगा।

अर्थात् $280 \times 5 / 100 = 14$ रु०

तदनुसार नामांकन शुल्क जोड़ते हुए डिमांड जोट में देय धनराशि 28014 त्र294 रु०

जिन जनपदों में सर्किल रेट में 30 प्रतिशत की छूट देय नहीं हैं वहाँ 5 प्रतिशत नामांकन शुल्क उपराक्तानुसार शुद्ध देय धनराशि अर्थात् रु० 400 पर ही आंकलित किया जाएगा।

कृपया उपराक्तानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

यज्ञवीर सिंह चौहान
 विशेष सचिव